प्रा०सं०– 124-1
4.6.07

(21)

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

पटना–15, दिनांक– 28.3.07

विषयः– बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट करने के संबंध में ।

राज्य सरकार के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन था कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत विभागीय सचिव के आदेश के विरूद्ध अपील किस प्राधिकार के समक्ष दायर होगी । बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–24 के अनुसार, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपीलीय प्राधिकार विनिर्दिष्ट किया जाना है । जहाँ ऐसा प्राधिकार विनिर्दिष्ट नहीं रहेंगे वहाँ (यदि मामला समूह 'ग' एवं 'घ' के सरकारी सेवकों का हो तो) आदेश देने वाले प्राधिकार के ठीक उपर के प्राधिकार के समक्ष अपील हो सकती है ।

2. उपर्युक्त आलोक में समूह 'ग' एवं 'घ' के सरकारी सेवकों के विरूद्ध विभागीय आयुक्त एवं सचिव/सचिव द्वारा पारित निलंबन आदेश अथवा दंड–आदेश, अर्थात उक्त नियमावली के नियम–23 में विनिर्दिष्ट आदेशों, के विरूद्ध अपील हेतु नियम–24 के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकार के रूप में विभागीय मंत्री को विनिर्दिष्ट किया जाता है ।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सरयुग प्रसाद) 28/3/07
सरकार क उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम-162/2005-का0- 1025 /पटना, दिनांक– 28.3.07

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 500 मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

28/3/07
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम-162/2005-का0- 1025 /पटना, दिनांक– 28.3.07

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखाओं को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/07
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/एम-162/2005-का0- 1025 /पटना, दिनांकं– 28.3.07

प्रतिलिपि–कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में पदस्थापित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/3/07
सरकार के उप सचिव